कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–विकास), मध्यप्रदेश
प्रथम तल सतपुड़ा भवन भोपाल–462004
दूरभाष -0755.2674216, फैक्स.2674339 ई–मेल apccfdev@mpforest.org

कमांक / एफ–02 / 1333 भोपाल दिनांक 25.05.2016

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय,
मध्य प्रदेश.

विषयः– कार्य आयोजना का क्रियान्वयन– वर्ष 2016–17 का एक्शन प्लान।
संदर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक / एफ–02 / 2016 / 10–3 / 408, दिनांक 15.02.16, कमांक / एफ–02 / 2016 / 10–3 / 503, दिनांक 27.02.16 एवं कमांक / एफ / 1114, दिनांक 30.04.16.

–0–

विषयांकित संदर्भित पत्रों के माध्यम से वर्ष 2016–17 के कार्य आयोजना कियान्वयन मदों के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की गयी है।

2/– योजना आयोग द्वारा प्रदेश के जिलों हेतु कार्य आयोजना कियान्वयन–7882 में अनुमोदित राशि, वनमंडल से प्राप्त एक्शन प्लान की राशि, इस कार्यालय द्वारा एक्शन प्लान की वनमंडलवार स्वीकृत राशि एवं प्रथम त्रैमास में विमुक्त की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट–1 के अनुसार है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राशि से कम राशि वित्त विभाग द्वारा प्रावधानित किये जाने के कारण उसी अनुपात में वनमंडलों के एक्शन प्लान की राशि में कटौती की जाकर एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया है।

3/– कार्यालयीन पत्र कमांक–1114, दिनांक 30.04.16 द्वारा विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव एवं पुनरुत्पादन कार्यों में गुणात्मक परिणाम लाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के परिपेक्ष्य में एक्शन प्लान के स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों एवं स्वीकृत राशियों से कार्य सम्पादन हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1– **वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य विभिन्न कार्य वृत्तों में पुनरोत्पादन कार्यों हेतु वनमंडल से एक्शन प्लान में प्रस्तावित समस्त कूपों के क्षेत्र की आवश्यकतानुसार साइट स्पेशिफिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मौके पर परिक्षेत्राधिकारी/ उपवनमंडलाधिकारी के निरीक्षण के आधार पर तैयार किया जावे।**

2– पुनरोत्पादन कार्यों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में गुणात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिये निम्न कार्यों को क्षेत्र की उपयुक्ता एवं आवश्यकता के अनुसार डी0पी0आर0 में सम्मिलित किया जावे :–

1. क्षेत्र की चराई से सुरक्षा हेतु CPT / CPW / बागड़ बनाई (वृक्षारोपण क्षेत्रों में बारबेड वायर फेन्सिंग)। स्थानीय नवाचार(Local innovations) पर विशेष ध्यान दिया जावे।

2. लेंटाना उन्मूलन।

3. 20 से0मी0 के नीचे के विकृत पौधों को कट बैक करना।

4 कॉपिस प्रजाति की ठूंठ ड्रेसिंग।

5. सिंगलिंग कार्य।

6. 3–3 मी0 एक लाईन से दूसरी लाईन के अंतराल में 45 से0मी0 की चौड़ाई एवं 45 से0मी0 गहराई की हल चलाकर जुताई की जाकर जुताई से निकली मिट्टी में बीज बुआई का कार्य।

7. क्षेत्र की आवश्यकतानुसार ढलान के क्षेत्रों में कन्टूर ट्रेंच का निर्माण (पानी रोकने के उद्देश्य से)।

8. 6–6 मी0 लम्बाई एवं मध्य भाग में 3 मी0 चौड़ाई एवं 45 से0मी0 गहराई के मिट्टी खोदकर, खोदी गई मिट्टी के बंड बनाकर छोटी छोटी जल संचयन संरचनाएं **(Water Harvesting Structures)** बनाना। (संलग्न अनुसार)

9. जल संचयन संरचना (Water Harvesting Structure) के खोदी गई मिट्टी के बंड के ऊपर बीज बुआई एवं 3 मी0 के अंतराल में पोलीपॉट पौधे लगाना। यह कार्य वर्षा के पानी को क्षेत्र के अन्दर ही रोकने एवं उक्त पानी से बीज/रोपित पौधों की बढ़त प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया जाना है। जल संचयन संरचना **(Water Harvesting Structure)** को क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार, विशेषकर कम वर्षा के वनमंडलों में कराया जावे।

   जल संचयन संरचनाओं की वर्क स्टेडी के आधार पर जॉबदर निर्धारित की जावे एवं प्रति हेक्टर में कितनी संरचनाएं आयेंगी, इन संरचनाओं सहित DPR तैयार कर विकास शाखा को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

10. भू–जल संरक्षण कार्य केवल छोटे नालों में ही अत्यंत सीमित मात्रा में लिया जाय।

11. क्षेत्र एवं मृदा की उपयुक्तता के अनुसार सागौन के रुट–शूट लगाने का कार्य।

12. रोपण हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों का रोपण।

3– उपरोक्त कार्यों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपादित करने का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक परिणाम से प्रोजेक्ट की अवधि में बिगड़े/कम घनत्व वाले वनक्षेत्रों को वन आच्छादित करना है/घनत्व बढ़ाना है।

4– साइट स्पेशिफिक बनाये गये DPR की प्रथम वर्ष की प्रति हेक्टर राशि एक्शन प्लान में स्वीकृत प्रति हेक्टर राशि से अधिक की हो सकती है। अतः एक्शन प्लान में स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों से कम रकबे में DPR स्वीकृत करने/कार्य करने की स्थिति बनेगी।

वनमंडल के एक्शन प्लान में प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के भौतिक लक्ष्यों एवं विभिन्न कार्य वृत्तों के पुनरूत्पादन कूपों के रकबे के अनुसार समस्त प्रस्तावित क्षेत्रों के DPR तैयार करते हुये पैरा–4 में दिये निर्देशानुसार वृक्षारोपण एवं विभिन्न कार्य वृत्तों हेतु एक्शन प्लान में स्वीकृत राशि के दो DPR स्वीकृत करते हुये कार्यों को

सम्पादित किया जावे। SCI एवं सुधार पातन के कूपों को प्राथमिकता दी जावे। शेष क्षेत्रों में आगामी माहों में प्रथम अनुपूरक बजट में राशि प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृत राशि के अनुसार कार्य कराये जावें। उद्देश्य यह है कि प्राप्त राशि से परिणाम मूलक काम्र कराये जावे।सम्पूर्ण क्षेत्र में कम–कम राशि व्यय करना निरर्थक होगा यदि उससे कोई परिणाम प्राप्त न किये जा सकें।

25/5/16

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(H0FF)
म0प्र0, भोपाल

पृ. क्रमांक/ एफ02/ 1334 दिनांक 25.5.2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख मध्यप्रदेश भोपाल
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, सतपुड़ा भवन भोपाल
4. समस्त वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय म0प्र0
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(H0FF)
म0प्र0, भोपाल

WATER HARVESTING STRUCTURES